राजस्थान सरकार

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

कार्यालय, प्रधानाचार्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैसवाडा, जालोर

क्रमांक 1236 दिनांक 11.10.2019

द्वि–प्रकमी निविदा सूचना संख्या...01/2019–20

राजस्थान रेजिडेन्सियल एज्यूकेशनल इन्सटीट्यूशनल सोसायटी(राईस) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संचालित डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैसवाडा, जालोर में शैक्षणिक सत्र 2019–20 हेतु अध्ययनरत/प्रवेशित अधिकतम 560 छात्राओ के लिए निम्नानुसार विभिन्न कार्यो हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाती है–

क्र.सं.	कार्य/सामग्री का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत(लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रपत्र बेचने की दिनांक व समय	निविदा प्रपत्र जमा करवाने की दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं हेतु दो समय खाना बनाने, नाश्ता बनाने व(वितरण) रसोई एवं खाना बनाने के बर्तनो की साफ सफाई हेतु रसोईयों की व्यवस्था(8माह के लिए)	5.2	10400	400	12.10.2019 से 4.11.2019. को दोपहर 2.00 बजे तक।	04.11.2019 को दोपहर 1.00 बजे तक	05.11.2019 को दोपहर 2.00 बजे से।
02	सफाई व्यवस्था(सम्पूर्ण विद्यालय परिसर) 8 माह	3.7	7400	400	--do--	--do--	--do--
03	जल वितरण एव अनुरक्षण (पंप अनुरक्षण, डीजी सैट संचालन, व विद्युत अनुरक्षण व्यवस्था) 8 माह	2.3	4600	400	--do--	--do--	--do--
04	चौकीदारी व्यवस्था(सम्पूर्ण विद्यालय परिसर व छात्रावास परिसर) 8 माह	3.7	7400	400	--do--	--do--	--do--
05	आवासीय विद्यालय मे आवासरत छात्रो हेतु हरी सब्जी व फल की व्यवस्था(8 माह हेतु)	5.5	11000	400	--do--	--do--	--do--

1. मे निविदादाता फर्म का नाम, पता एवं कार्य/सामग्री का उल्लेख करना होगा। पेन्सिल से भरी हुई निविदाऐं मान्य नहीं होगी।
2. क्रमांक 1 से 4 तक का कार्य/सेवाऐं जॉब बेसिस के आधार पर पंजीकृत अनुभवी ठेकेदार/सक्षम रजिस्टर्ड संस्थाओं से संविदा पर करवायी जायेगी।
3. निविदा प्रपत्र प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक निर्धारित शुल्क का नकद भुगतान पर प्राप्त किये जा सकते है।
4. निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
5. प्राप्त निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय/उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।
6. निविदा या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
7. डाक से भेजी गई निविदाएं मान्य नहीं होगी।
8. क्रम संख्या 01 तथा 05 पर अंकित निविदाओं के लिए भारतीय खाद्य संस्था एवं मानकीकरण अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैद्य पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति सलग्न करना अनिवार्य है।
9. धरोहर राशि के बिना निविदा स्वीकार नही होगी।
10. धरोहर/प्रतिभूति राशि केवल डीडी/बैंकर चैक के रूप मे ही स्वीकार की जायेगी,तथा प्रत्येक निविदा के लिए अलग–अलग डीडी प्रस्तुत करने होंगे।
11. निविदा खोलने की दिनांक को यदि राजकीय अवकाश हो तो उक्त दिनांक को खोली जाने वाली निविदायें अगले कार्यदिवस मे खोली जायेगी।
12. कार्य की अन्य शर्ते व नियम कार्य दिवस मे प्रातः 10 बजे से 2 तक देखी जा सकती है।
13. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
14. सामान्य वित्त व लेखा नियम निविदा निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक कार्य हेतु अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्येक लिफाफे पर मोटे एवं स्पष्ट अक्षरो /राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 की समस्त शर्त व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी समस्त निर्देश मान्य होंगे।
    नोट :–निविदादाता को तकनीकी निविदा व वित्तीय निविदा को पृथक्–पृथक् लिफाफों मे सील बंद कर डालना होगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी, तकनीकी निविदा में असफल निविदा दाता की वित्तीय निविदादाता की वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. वित विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018 संख्या 1/2018 की सभी शर्ते मान्य होगी।

UBN No. SOC1920SLRC00137

(सवाराम चौधरी)
प्रधानाचार्य
डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय
उच्च माध्यमिक विद्यालय भैसवाडा,जालोर।

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रधानाचार्य डॉ. बी.आर अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैरावाडा, (जालोर)

निविदा कमांक /2019-20/

-:निविदा की सामान्य शर्तें:-

1. न्युनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवदेक का होगा।
2. राजस्थान अनुसूचित श्रमिक(नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम,1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होगें। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपी पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
3. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part Time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम की अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अशंकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिये ली जायेगी, उन्हे उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी क गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जावेगी।
4. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिको को मजदूरी की भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिको के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बावत उपापन संस्था की संतुष्ठि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।
5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
6. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने के उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. संवेदक का राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.एस. आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई. एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्ठि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों की भुगतान किया जायेगा।
8. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य सथल पर Display Boards लगाये जायेगें, जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि, कार्य प्रगति, श्रमिको हेतु Helpline नम्बर संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अकिंत किया जाएगा।
9. राज्य में लागु श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिको का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
10. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि सभी करो में सम्मलित कर प्रस्तुत करनी होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवदेक द्वारा गत माह में जमा कराये गये अन्य कर व वस्तु एवं सेवा (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। अन्य कर व वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में अन्य कर व वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में अन्य कर व वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
11. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचना तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अर्न्तगत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्थ का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948

Scanned by CamScanner

एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम,1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापुर्वक पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।

13. नियोजित श्रमिको को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों कि अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायी संवेदक का होगा।

14. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपुर्ति या मुआवजा देने/ई. एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

15. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किंए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो, उपापन संस्था इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक का Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

16. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कर रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जावेगा। उदाहरण के लिये यदि किसी उपापन प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ठ कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिको को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

17. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

18. निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशो के अनुसार उचित रुप से मुहरबन्द लिफाफे में तकनीकी निविदा व वित्तीय निविदा पृथक–पृथक बन्द करना होगा। लिफाफे पर जिस कार्य हेतु निविदा दी जाती है उसका नाम स्पष्ट रूप से लिखा होगा तथा निविदा कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र पर ही स्वीकार की जायेगी। तकनीकी निविदा में असफल रहने वाली फर्म की वित्तीय निविदा नही खोली जायेगी।

19. निविदाएं निविदा खोलने/कार्य प्रारम्भ की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसे आपसी सहमती द्वारा अधिकतम आगामी शिक्षण सत्र तक वढाया जा सकता है।

20. निविदादाता /संस्था /फर्म/एजेन्सी को पूर्व में राजकीय कार्यालय अर्द्वशासकीय कार्यालयों में या अन्य संस्थाओं में निविदा में उल्लेखित कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियों निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित धरोहर राशि का बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा प्रधानाचार्य_डॉ. बी. आर अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैसवाडा के नाम के कार्यालय में निविदा के साथ जमा करानी होगी सफल निविदादाता को धरोहर राषि को अमानत राशि में समायोजित कर लिया जायेगा। शेष निविदादाताओं को आवेदन करने पर धरोहर राशि लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि के विना प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।

21. सफल निविदादाता द्वारा अवयस्क एवं निःशक्त व्यक्तियों को कार्य पर नही लगाया जाएगा किसी भी कर्मकार के अवकाश पर रहने या राजकीय अवकाष के दिनों में अपेक्षित संख्या में कर्मकारों की सेवा प्रदाय करने का दायित्व सेवा प्रदाय कर्त्ता का होगा । इस सबंध में किंसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा कार्यरत कर्मकार से कोई शिकायत होने पर ठेकेदार को 24 घण्टे के भीतर उसके स्थान पर वैकल्पिक कर्मकार उपलब्ध कराना होगा।

22. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मैस समिति/क्रय समिति बी.आर अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैसवाडा को होगा।

23. सेवा प्रदाय कर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कोई त्रुटी पाये जाने पर निविदा को रदद् करने का अधिकार क्रय समिति को होगा।

24. न्यूनतम दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।

25. निविदादाता /संस्था /फर्म/एजेन्सी का श्रम विभाग से मानव श्रम आपूर्ति करने का पंजीयन करवाना आवश्यक है साथ ही ई.पी.एफ. व ई.एस.आई विभाग में पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा संबंधित

Scanned by CamScanner

दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करने होगे । जी.एस.टी. के दायरे में आने वाली फर्म/संस्था पंजीयन प्रमाणपत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

26. सेवा प्रदाय कर्ता को जॉब बेसिस ठेका कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को ठेका सब्लेट नही करेगा।

27. ठेके के शर्तो का उल्लंघन होने पर बिना नोटिस दिये ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।

28. ठेके के संबंध में अन्य कोई शर्त मान्य नही होगी। सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।

29. ठेकेदार के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों से लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने संबंधित षिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस कर्मकार को हटाने का निर्देश सेवा प्रदाय कर्ता को देता है तो ठेकेदार द्वारा उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा।

30. सेवा प्रदाय कर्ता को अनुबन्ध के साथ उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मकारों की सूची उनके पासपोर्ट साईज फोटो सहित प्रस्तुत करनी होगी। उनके आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से ठेकेदार जिम्मेदार होगा। सेवा प्रदाय कर्ता को अपने कर्मकारों को पहचान /परिचय पत्र उपलब्ध कराने होगें।

31. प्रधानाचार्य द्वारा ठेके से सम्बन्धित कोई भी सूचना सेवा प्रदाय कर्ता से कभी भी प्राप्त की जा सकेगी इस हेतु सेवा प्रदायकर्ता को ठेका स्थल पर स्वय की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को नामजद करना होगा जो कि ठेकेदार के नाम से जारी पत्रो को प्राप्त करने व वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत व उत्तरदायी हो । अधिकृत व्यक्ति राउण्ड ओ क्लॉक प्रधानाचार्य के सम्पर्क में रहेगा एवं प्रशासन के द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले दिशा निर्देशो के अनुसार कार्य करने के लिये उत्तरदायी होगा । ठेकेदार को श्रम विभाग नियम उपनियम व अधिसूचनाएँ आदि में दिये गये दिशा निर्देशो की पालना एव समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व सेवा प्रदायकर्ता का होगा श्रम विभाग के नियम उपनियम एवं अधि सूचनाओं की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामो/दायित्वों के लिय सेवा प्रदायकर्ता स्वय उत्तरदायी होगा सेवा प्रदायकर्ता को श्रम विभाग के नियम उपनियम तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो एवं श्रमिक हित में जारी संषोधन की पालना करने का दायित्व ठेकेदार का होगा पालना नही करने की स्थिति में नैस समिति/क्रय समिति को ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार बी.आर अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैसवाडा का होगा।

32. सफल निविदादाता द्वारा भोजन बनाने के कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये गये कर्मकार की कार्यावधि ठेके की अवधि समाप्त होते ही स्वतः ही समाप्त हो जायेगी एवं किसी भी स्थिति में कर्मकार नियमित नियुक्ति के पात्र नही होंगे ।

33. कार्य की आवश्यकतानुसार ठेकेदार से जॉब बेसिस पर कार्य को संतोषजनक सम्पादित करवाने का संबंधित अधीक्षक को पूर्ण अधिकार होगा।

34. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मकार उपलब्ध करवाये जायेंगे। यदि किसी समय ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुसार कार्मिक उपलब्ध नही करवाये जाने पर भोजन बनाने का कार्य सन्तोषजनक नही होने पर अनुमोदित राषि के आधार पर गणना कर उक्त कटौती के साथ आंकलित राषि की 10 प्रतिशत राशि दण्ड के रूप में बिल से काटी जायेगी।

35. सेवा प्रदायकर्ता द्वारा बीच में कार्य छोडने पर या कार्य सन्तोषजनक नही होने पर ठेकेदार को स्वीकृत ठेका निरस्त कर प्रतिभूति कर राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य बी.आर अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैसवाडा को होगा।

36. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानो के तहत कोई लाईसेन्स या अनुमति पत्र लेना आवष्यक हो तो वह ठेकेदार स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा ठेकेदार को अपने कर्मकारों के कार्यदिवस कार्य के लिए घण्टे दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

37. निविदा अनुमोदन होने पर संबंधित संस्था/फर्म/एजेन्सी द्वारा 7 दिवस के भीतर 500/रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा जिसका समस्त व्यय संबंधित फर्म

Scanned by CamScanner

द्वारा वहन किया जाएगा । सफल निविदादाता को अनुमोदित कार्य राषि का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में नगद अथवा बी.आर अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैसवाडा के नाम जारी डी.डी. के रूप में जमा करवानी होगी तथा इस प्रतिभुति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

38. जॉब बेसिस पर कार्य प्रदान करने वाली फर्मस जो कि एक सेवा प्रदाता फर्मस है। श्रम विभाग के नियमानुसार श्रमिको को न्यूनतम मजदूरी देना अनिवार्य है। उनके द्वारा ठेका न्यूनतम दर पर प्राप्त करने के बाद भी वे किसी भी प्रकार से अतिरिक्त राशि की माँग कार्यालय नि. प. आवासीय विद्यालय हरियाली या सा. न्या. अ. विभाग से नहीं करने का शपथ पत्र भी सफल निविदादाता को 7 दिन के भीतर कार्यालय में देना होगा।

39. ठेकेदार द्वारा अपने कर्मकारों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक देनकी मजदूरी का भुगतान आवश्यक रूप से करना होगा चाहे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से किसी भी कारण देरी से भुगतान प्राप्त क्यों न हो ठेकेदार जिस दिन व समय पर श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान करना निश्चित करेगा वह दिन व समय कार्यालय को अनुबन्ध प्रारम्भ होते ही सूचित करेगा ।

40. निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिको की किसी भी कारण से फर्म में समय व कार्य समय के उपरान्त मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में दुर्घटना में जान/अपंग हो जाता हे तो इसका समस्त दायित्व क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि की देने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी इसके लिए सरकार /सा.न्या.अ.वि. जिम्मेदार नहीं होगा तथा स्वीकृत निविदादाता को उपलब्ध करवाए जानें वाले समस्त कार्मिकों को दुर्घटना बीमा स्वयं के खर्चे पर करवाना होगा। दुर्घटना होने पर विद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और किसी प्रकार का वाद विद्यालय के विरूद्ध दर्ज नहीं किया जा सकेंगा।

41. ग्रीष्मावकाश/शीतकालीन अवकाश/मध्यावधि के दौरान सफाईकर्मी, प्रयोगशाला सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उक्त दिनों का भुगतान नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में कार्मिकों को बुलाएँ जाने पर कार्य दिवसों के आधार पर आनुपातिक भुगतान किया जायेगा।

42. तकनीकी निविदा प्रपत्र के संलग्न शर्तो का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

43. निविदादाता के जिलो के भुगतान में से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किय गये समस्त आदेश संशोधन/संशोधन आदेशों के अनुरूप टी. डी. एस. एवं जी. एस. टी. अथवा अन्य करों की कटोती की जावेगी।

44. समान दरे प्राप्त होने पर अनुभव को वरियता दी जायेगी तथा अनुभव भी समान पाये जाने पर बन्द लिफाफे में नेगोशियेशन करवा कर निर्णय लिया जायेगा।

45. सफल निविदादाता कार्यादेश प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर 3% धरोहर राशि नगद/डी.डी. प्रधानाचार्य डॉ. बी.आर अम्बेडकर रा.बा.आ.उ.मा.वि भैसवाडा, जालोर के नाम जमा करानी होंगी।

नोटः– निविदा फर्म में टंकण त्रुटि होने की दषा में GF & AR वर्णित शर्ते ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

प्रधानाचार्य
डॉ बी. आर अम्बेडकर.रा.बा आउ.मा. विद्यालय
भैसवाडा (जालौर)

अतः मैने/ हम ने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्ते संख्या 1 से 45 तक को भली–भॉती पढ़ लिया है एवं समझ लिया है । मैं उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत हूँ। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे हस्ताक्षर कर दिये गऐ है ।

हस्ताक्षर निविदादाता

Scanned by CamScanner